

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक—का0आ0उ0 139 /41-1 दिनांक, लखनऊ, जुलाई 26, 2023

नोटिस

(नये काष्ठ आधारित उद्योग हेतु निर्गत प्रोवीजनल लाइसेंस में नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में)

नये काष्ठ आधारित उद्योग हेतु निर्गत समस्त प्रोवीजनल लाइसेंसधारकों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि नये काष्ठ आधारित उद्योग हेतु वर्ष 2019 में प्रोवीजनल लाइसेंस निर्गत किये गये थे। आनलाइन आवेदन के समय माह जून/जुलाई 2018 से वर्तमान में लगभग 05 वर्ष का समय हो चुका है। उक्त अवधि में कोविड की महामारी से भी लोग ग्रसित रहे हैं। उ0प्रो शासन द्वारा नाम परिवर्तन किये जाने को इस शर्त के साथ अनुमन्य किया है कि नये काष्ठ आधारित उद्योग हेतु प्रोवीजनल लाइसेंसधारकों के प्रकरण, जो कि Death-Nomination तथा Inheritance से आच्छादित हैं, में नाम परिवर्तन का लाभ इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि सबलेटिंग (Subletting) अनुमन्य नहीं होगी।

- 1) नाम परिवर्तन किये जाने की प्रक्रिया – Death-Nomination तथा Inheritance से आच्छादित प्रकरणों में नये प्रस्तावित इकाई स्वामी को इकाई नामान्तरित किये जाने हेतु आनलाइन निम्न Step के माध्यम से भरा जाना है—

प्रक्रिया –

	Stepwise Process	प्रक्रिया के चरण
1	Login at WBI portal by Applicant ID	आवेदक पोर्टल पर अपने Login ID से Login करें
2	Go to New License Option	New License के Option में जायेंगे
3	Click to Ownership Change Option	Ownership Change Option में जायेंगे
4	Click Reason for Ownership Change (Death/Inheritance)	Ownership Change का कारण चुने – (Death/Inheritance)
5	Fill New Owner Details	नये इकाई स्वामी का विवरण भरें
6	Upload Relevant Documents	सम्बन्धित अभिलेख Upload करें
7	View/Check and Final Submit	Documents के Upload होने के पश्चात अपने फार्म को देखे तथा संतुष्ट होने के पश्चात Final Submit करें।

- 2) अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की सूची –

क) प्रोविजनल लाइसेंसधारक की मृत्यु की दशा में नामान्तरण की प्रक्रिया में –

स्वतः प्रमाणित निम्न अभिलेख अपलोड किये जायेंगे—

- मृत्यु प्रमाण पत्र
- वारिसान प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
- वारिसान प्रमाण पत्र में अंकित समस्त वारिसान के शपथ पत्र (फोटो सहित) जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि प्रोविजनल लाइसेंसधारक की मृत्यु के उपरान्त नये प्रस्तावित इकाई स्वामी के नामान्तरण किये जाने में उनकी सहमति है एवं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
- नये प्रस्तावित आवेदक अथवा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध वन अपराध का कोई प्रकरण लम्बित नहीं होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
- आधार कार्ड

vi) डिजिटल फोटो

ख) Inheritance से आच्छादित (मृत्यु के अलावा) के प्रकरण में –

Inheritance से आच्छादित प्रकरणों में नामान्तरण हेतु स्वतः प्रमाणित निम्न अभिलेख अपलोड किये जायेंगे–

- i) इकाई के नामान्तरण करने का कारण सम्बन्धी सुसंगत अभिलेख
- ii) प्रोविजनल लाइसेंसधारक द्वारा नये प्रस्तावित इकाई स्वामी को इकाई नामान्तरित किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र
- iii) नये प्रस्तावित आवेदक अथवा उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध वन अपराध का कोई प्रकरण लम्बित नहीं होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
- iv) आधार कार्ड
- v) डिजिटल फोटो

- 3) नये इकाई स्वामी द्वारा फार्म Submit किये जाने के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपना फार्म भरकर मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक को अपनी आख्या/संस्तुति के साथ Forward करना होगा।
- 4) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपनी आख्या/संस्तुति के साथ Forward करने के पश्चात मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक द्वारा अपना फार्म भरकर अपनी आख्या/संस्तुति के साथ राज्य स्तरीय समिति को Forward करना होगा।
- 5) नये काष्ठ आधारित उद्योग हेतु प्रोवीजनल लाइसेंसधारकों के प्रकरण, जो कि Death-Nomination तथा Inheritance से आच्छादित है, में नाम परिवर्तन का लाभ इस शर्त के साथ दिया जा सकता है कि सबलेटिंग (Subletting) अनुमन्य नहीं होगी।
- 6) किसी भी दशा में इकाई को उनके विधिक उत्तराधिकारी के (वारिस प्रमाण पत्र) के अलावा अन्य किसी को विक्रय किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

18/26/7/23

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग,

8 उ0प्र0, लखनऊ।